परिवार आईडी और सदस्य समग्र आईडी पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड
एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित

परिचय

1.समग्र पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवासरत नागरिक स्वंय का और सदस्यों का पंजीकरण किया जा सकता हैं।

चरण 1: पंजीकरण कैसे करें?

- पंजीकरण आवेदन करने के लिए, वेब ब्राउज़र में निम्न वेबसाइट यूआरएल दर्ज करें https://samagra.gov.in
- समग्र यूआरएल ओपन करने पर नीचे दर्शाई स्क्रीन के अनुसार होम पेज खुलेगा।

चरण 2: परिवार को पंजीकृत पर क्लिक करें।

चरण 3: अब आपको अपना मोबाईल नंबर दिए हुए बॉक्स में प्रविष्ट करने के बाद मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।

चरण 4: मोबाईल नंबर दर्ज करने के बाद यदि नीचे दर्शाया संदेश प्राप्त होता है तो आपका मोबाईल किसी दूसरी परिवार आईडी में पंजीकृत हैं।

चरण 5: कृपया दूसरा मोबाईल नंबर दर्ज कर आगे बढ़े।

महत्वपूर्ण निर्देश :
परिवार को पंजीकृत करें
सफलता
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है।
Close
आपके मोबाइल पर प्राप्त ओ टी पी दर्ज करें*
ओटीपी सत्यापित करें

महत्वपूर्ण निर्देश :
स्टार (*) से चिह्नित फील्ड में डेटा दर्ज करना या चयन करना अनिवार्य है।
वर्चुअल आईडी (VID) एक अस्थायी, प्रतिसंहरणीय 16-अंकीय 'रैंडम' संख्या है जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी 'प्रमाणीकरण' या ई-केवाईसी सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो आधार संख्या के बदले वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है। आधार संख्या का उपयोग करने के समान तरीके से VID का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जा सकता है। VID से आधार संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है।
आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
जन्मतिथि व नाम, जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप ही दर्ज करें,यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है,तो आवेदक यह सुनिश्चित करें कि समग्र,आधार और जन्म प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी में भिन्नता न हो।
परिवार को पंजीकृत करें
आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें*
ओटीपी जनरेट करें
आपके मोबाइल पर प्राप्त ओ टी पी दर्ज करें*
766980
ओटीपी सत्यापित करें
ओटीपी सत्यापित करें

चरण 6: आधार नंबर दर्ज करने पर आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा।

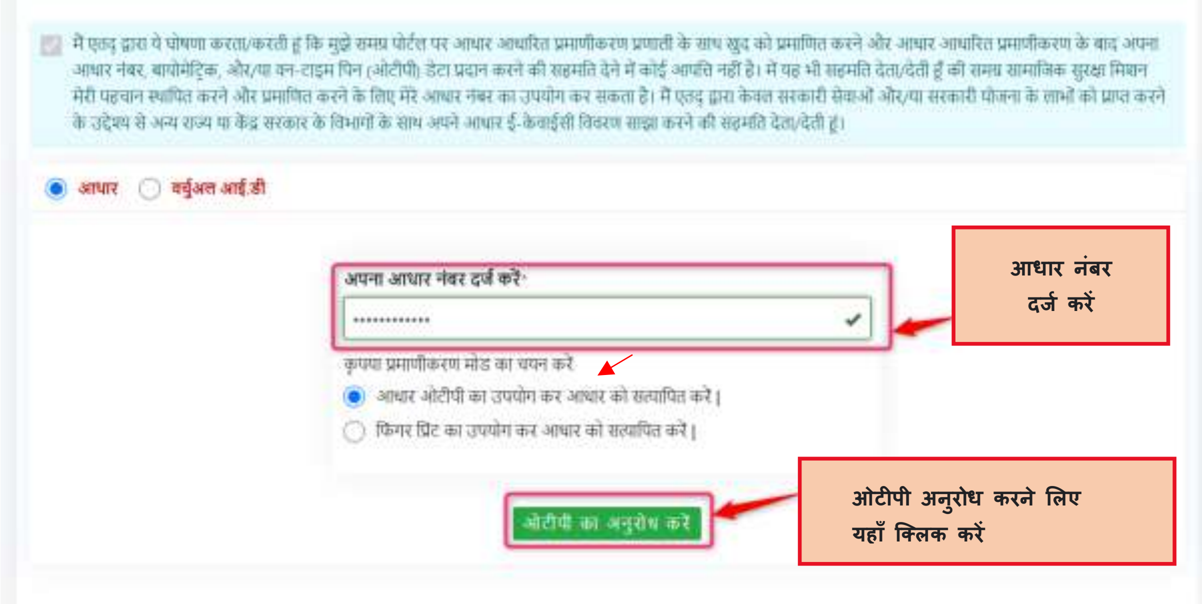

चरण 7: ओटीपी सत्यापित करने के बाद, अपना आधार नंबर दर्ज करें ।

नागरिक का आधार का पता मध्यप्रदेश का होना अनिवार्य हैं,यदि आधार का पता मध्यप्रदेश से बाहर का हैं तो आपको सिस्टम नीचे प्रदर्शित मैसेज दिखाई देगा।

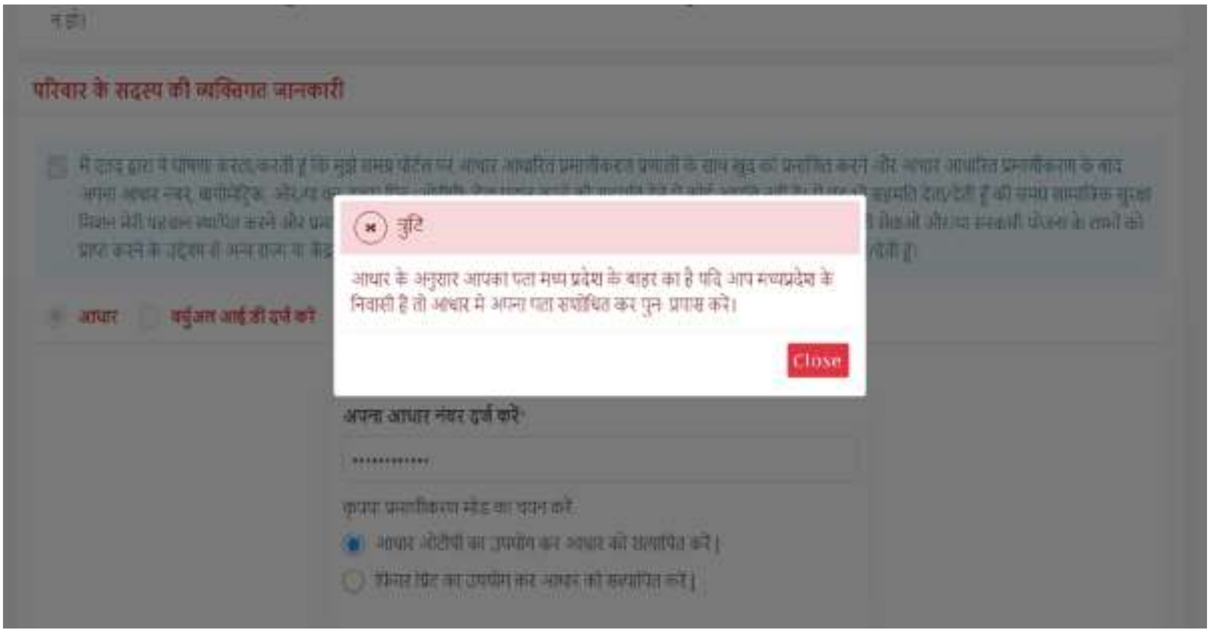

चरण 8: आधार से नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, फोटो, मोबाईल नंबर ((जो आपने पंजीकृत करते समय दर्ज किया हैं), पिन कोड और जिला स्वतः भरा जाएगा। नागरिक द्वारा अन्य जानकारी भरी जायेगी जैसे:

प्रथम नाम (हिन्दी)

अंतिम नाम (हिन्दी)

जाति : क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं ? यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति निपटान दिनांक दर्ज करें तथा आपको जाति विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा आपका प्रमाण पत्र की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी,यदि आपने गलत प्रमाण पत्र और निपटान दिनांक दर्ज की है तो सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा और त्रुटि प्राप्त होगी. डिजिटल प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.

वैवाहिक स्थिति

धर्म

स्थानीय निकाय

गाँव/वार्ड

पंचायत/मोहल्ला

अस्थायी पता

चरण 9: आगे बढ़ने क्लिक करने पर आपको एक सूचना प्रदर्शित होगी, यदि आप Yes(हाँ) पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या No(नहीं)पर क्लिक करके जानकारी अद्यतन करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 10: परिवार के मुखिया की जानकारी सुरक्षित कर ली गई हैं।अब आप अपने परिवार में सदस्यों को जोड़ सकते हैं।

सदस्यों को जोड़ने के लिए 2 विकल्प दिए जा रहे है।

1. **सदस्य की आयु 5 वर्ष तक (आधार के बिना)**
2. **सदस्य जोड़े सभी आयु वर्ग (आधार के साथ)**

सदस्य की आयु 5 वर्ष तक (आधार के बिना)

केस 1 : यदि सदस्य की आयु 5 वर्ष तक है तब नागरिक द्वारा निम्न जानकारी भरी जायेगी
प्रथम नाम (अंग्रेजी)
अंतिम नाम (अंग्रेजी)
प्रथम नाम (हिन्दी)
अंतिम नाम (हिन्दी)
जन्मतिथि
जाति : क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं ? यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति निपटान दिनांक दर्ज करें तथा आपको जाति विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा आपका प्रमाण पत्र की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी,यदि आपने गलत प्रमाण पत्र और निपटान दिनांक दर्ज की है तो सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा और त्रुटि प्राप्त होगी. डिजिटल प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.

मोबाईल नंबर
सदस्य का मुखिया के साथ रिश्ता
आईडी से संबंधित दस्तावेज का प्रकार (आधार कार्ड ,जन्म प्रमाणपत्र)

यदि नागरिक जन्मप्रमाण पत्र सिलेक्ट करता हैं,तब प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा और प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करना होगा।यदि आधार कार्ड सिलेक्ट करता हैं,तब आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करना होगा।

चरण 11: सदस्य जोड़े क्लिक करने पर आपको एक सूचना प्रदर्शित होगी, यदि आप Yes(हाँ) पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या No(नहीं)पर क्लिक करके जानकारी अद्यतन करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं।

जन्मप्रमाण पत्र क्रमांक *
Choose File
सूचना
Make sure that the profile of member will not be updated after saving. Do you want to save profile?
Yes / हाँ
No / नहीं

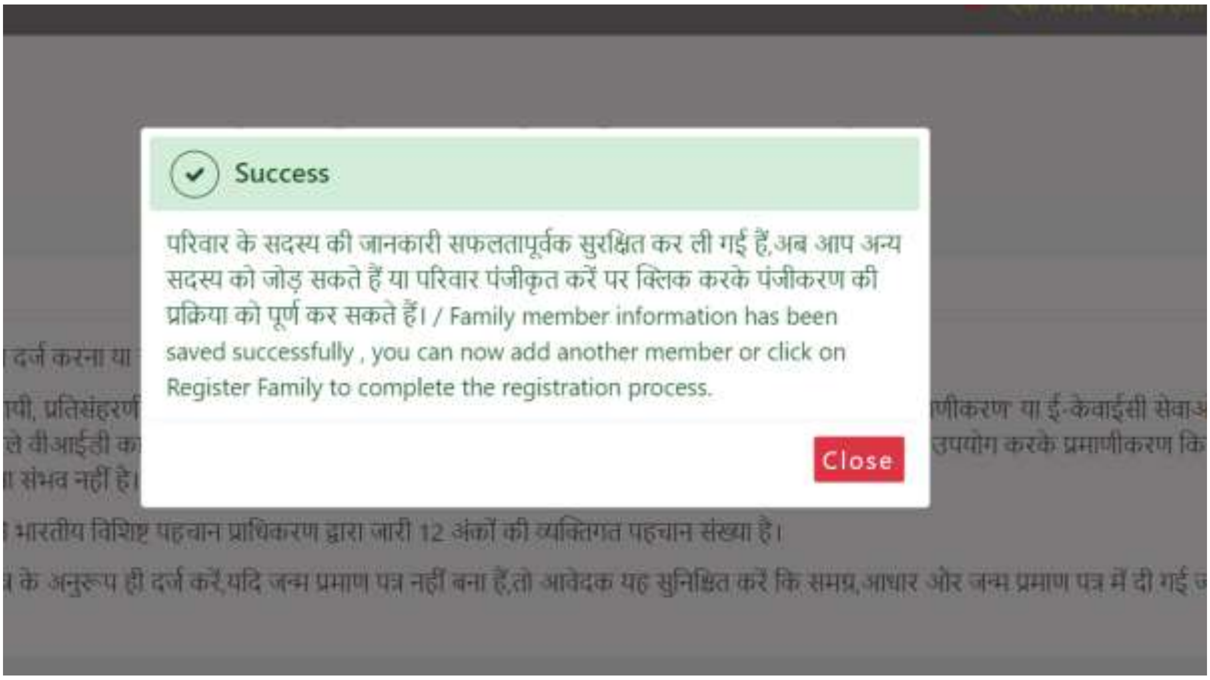
Success
परिवार के सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई हैं,अब आप अन्य सदस्य को जोड़ सकते हैं या परिवार पंजीकृत करें पर क्लिक करके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। / Family member information has been saved successfully , you can now add another member or click on Register Family to complete the registration process.
Close

सदस्य जोड़े सभी आयु वर्ग (आधार के साथ)

सभी आयु वर्ग (आधार के साथ) के सदस्यों को सिस्टम द्वारा आधार/वर्चुअल आईडी भरने पर कुछ जानकारी जैसे नाम,जन्मतिथि,लिंग,पता और फोटो स्वतः भरा जावेगा। नागरिक द्वारा अन्य जानकारी भरी जायेगी जैसे :

प्रथम नाम (हिन्दी)

अंतिम नाम (हिन्दी)

जाति- **जाति : क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं ? यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति निपटान दिनांक दर्ज करें तथा आपको जाति विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा आपका प्रमाण पत्र की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी,यदि आपने गलत प्रमाण पत्र और निपटान दिनांक दर्ज की है तो सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा और त्रुटि प्राप्त होगी. डिजिटल प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.**

वैवाहिक स्थिति

मोबाईल नंबर

सदस्य का मुखिया के साथ रिश्ता

यदि आपके द्वारा गलत सदस्य को जोड़ दिया गया हैं ,तो **Delete** बटन पर जाकर हटाया जा सकता हैं।

सारे सदस्य जोड़ने के बाद परिवार पंजीकृत पर क्लिक करने पर आपको एक अनुरोध आईडी प्रदान की जाएगी। आपका अनुरोध स्थानीय निकाय को सत्यापन के लिए भेज दिया गया हैं।

परिवार में 23 वर्ष - 60 वर्ष महिला होने पर आपके अनुरोध को संबंधित कलेक्टर कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जावेगा।

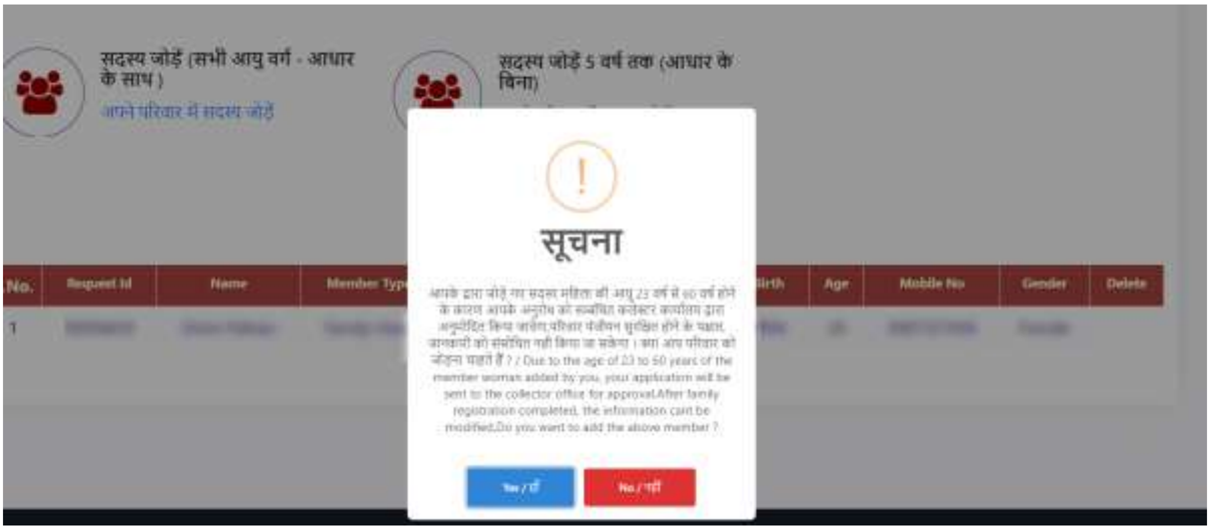
सदस्य जोड़ें (सभी आयु वर्ग - आधार के साथ)
अपने परिवार में सदस्य जोड़ें
सदस्य जोड़ें 5 वर्ष तक (आधार के बिना)
No.
Request Id
Name
Member Type
Age
Mobile No
Gender
Delete
सूचना
member woman added by you, your application will be sent to the collector office for approval.After family registration completed, the information cant be modified.Do you want to add the above member ?

Success
आपके परिवार को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया हैं, आपका अनुरोध आईडी 90094837 हैं / Your family has been successfully registered, your request ID is 90094837
Close

परिवार आईडी होने की स्थिति में सदस्य पंजीकरण

चरण 1: सदस्य पंजीकरण करने के लिए होम पेज पर "सदस्य पंजीकृत करें" क्लिक किया जा सकता है।

परिवार आईडी होने पर सदस्य को जोड़ा जा सकता हैं।नीचे दर्शाये हुए स्क्रीन के माध्यम से "**सदस्य पंजीकृत करें**" लिंक पर क्लिक करके निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

चरण 2 : परिवार के मुखिया या पहले से जुड़े हुए सदस्य का मोबाईल नंबर दर्ज करें।

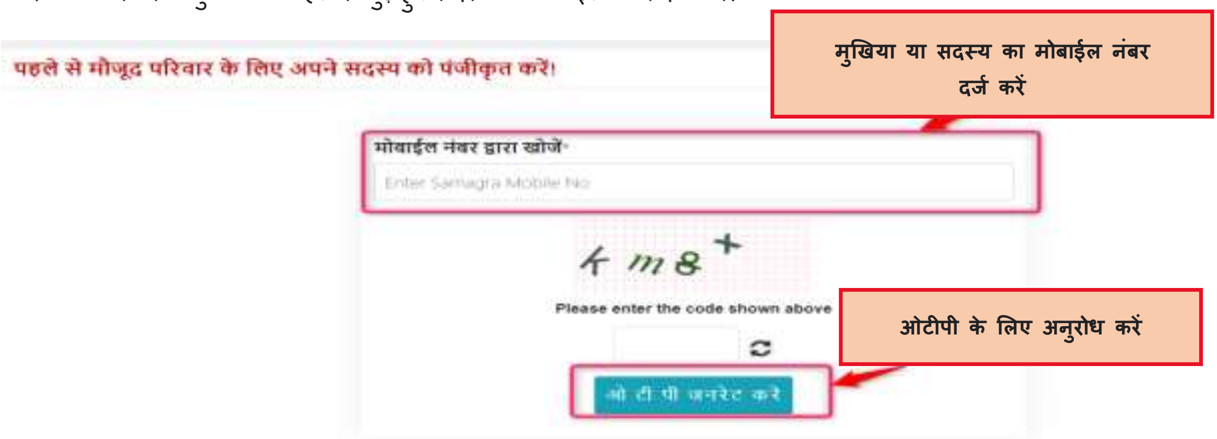

चरण 3 : परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होगी और सदस्यों को जोड़ने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं|

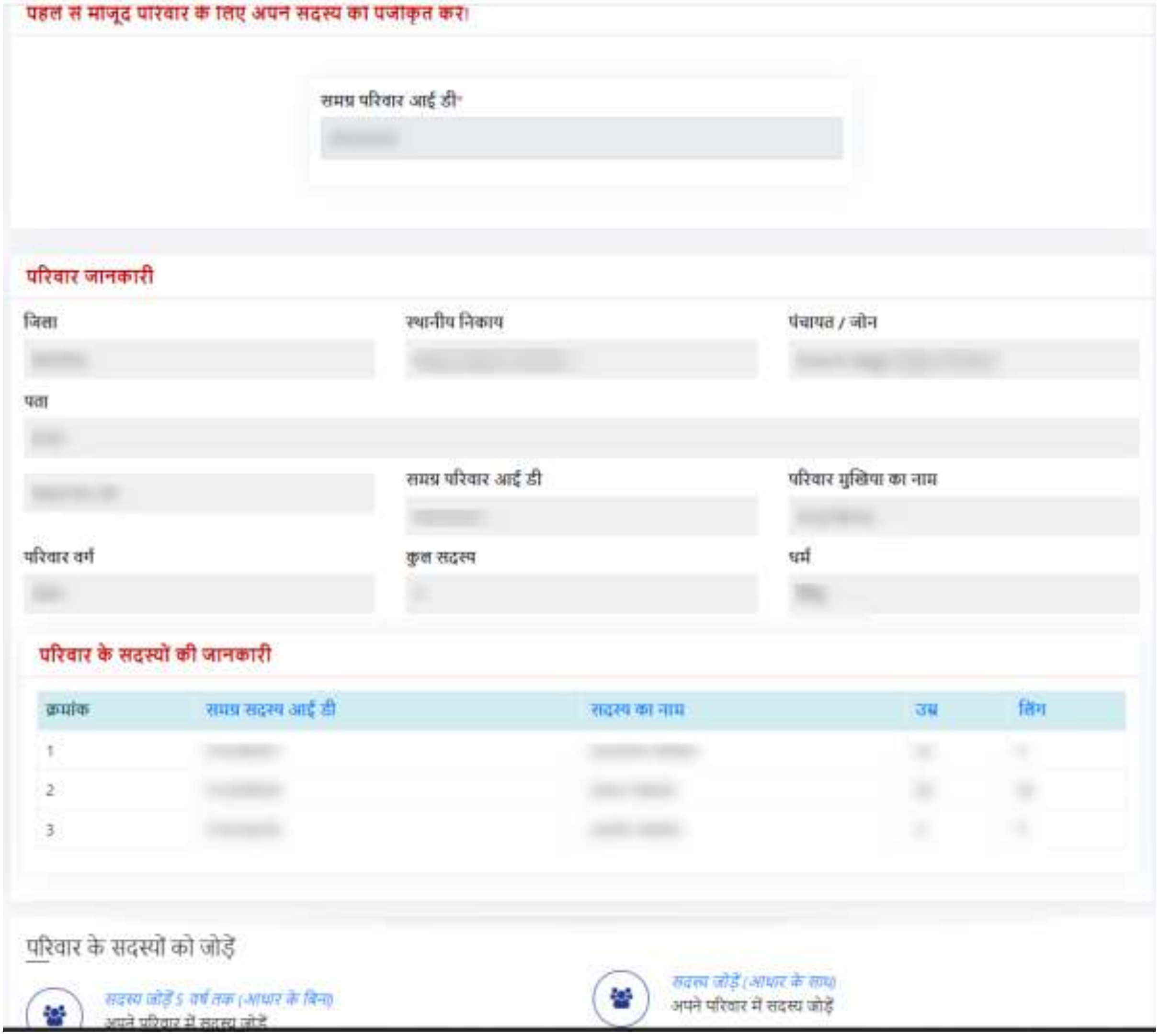

चरण 4. सदस्यों को जोड़ने के लिए 2 विकल्प दिए जा रहे है|

1. **सदस्य की आयु 5 वर्ष तक (आधार के बिना)**

2. **सदस्य जोड़े सभी आयु वर्ग (आधार के साथ)**

सदस्य की आयु 5 वर्ष तक (आधार के बिना)

केस 1 : यदि सदस्य की आयु 5 वर्ष तक है तब नागरिक द्वारा निम्न जानकारी भरी जायेगी
प्रथम नाम (अंग्रेजी)
अंतिम नाम (अंग्रेजी)
प्रथम नाम (हिन्दी)
अंतिम नाम (हिन्दी)
जन्मतिथि
जाति : क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं ? यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति निपटान दिनांक दर्ज करें तथा आपको जाति विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा आपका प्रमाण पत्र की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी,यदि आपने गलत प्रमाण पत्र और निपटान दिनांक दर्ज की है तो सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा और त्रुटि प्राप्त होगी. डिजिटल प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.

मोबाईल नंबर
सदस्य का मुखिया के साथ रिश्ता
आईडी से संबंधित दस्तावेज का प्रकार (आधार कार्ड ,जन्म प्रमाणपत्र)
यदि नागरिक जन्मप्रमाण पत्र सिलेक्ट करता हैं,तब प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा और प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करना होगा।यदि आधार कार्ड सिलेक्ट करता हैं,तब आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करना होगा।

चरण 5: सदस्य जोड़े पर क्लिक करने पर सदस्य को जोड़ दिया जायेगा।

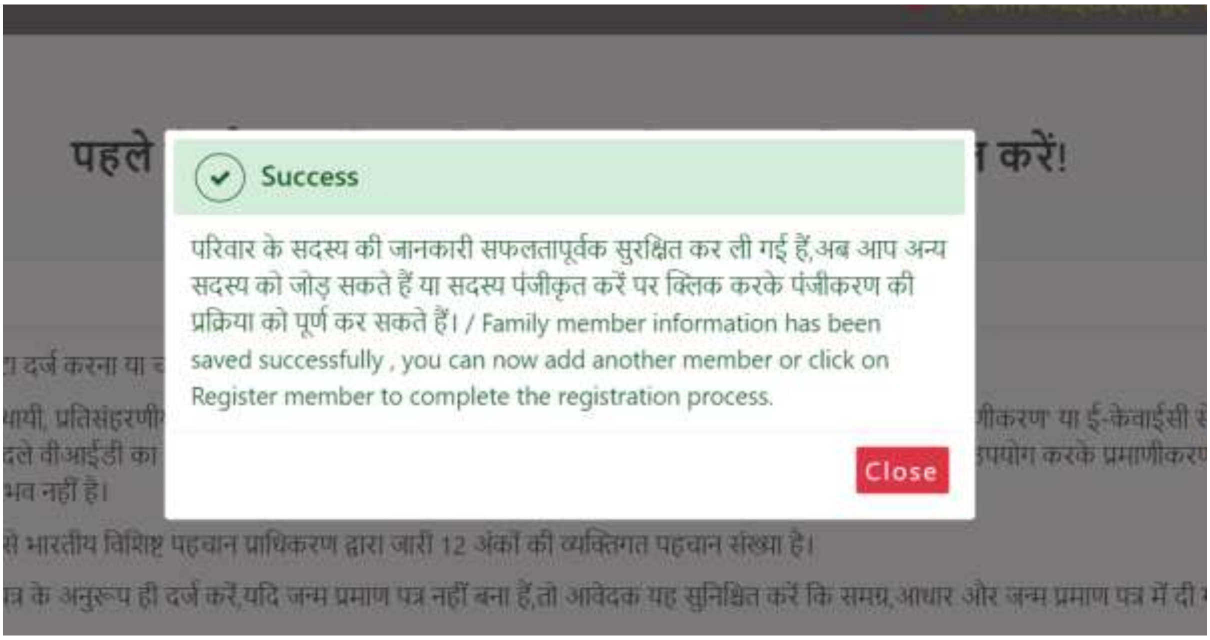

सदस्य जोड़े सभी आयु वर्ग (आधार के साथ)

केस 2 : यदि सदस्य की आयु 5 वर्ष से अधिक है तब सिस्टम द्वारा आधार/वर्चुअल आईडी भरने पर कुछ जानकारी जैसे नाम,जन्मतिथि,लिंग,पता और फोटो स्वतः भरा जावेगा। नागरिक द्वारा अन्य जानकारी भरी जायेगी जैसे :

प्रथम नाम (हिन्दी)

अंतिम नाम (हिन्दी)

जाति : क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र हैं ? यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति निपटान दिनांक दर्ज करें तथा आपको जाति विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करना होगा आपका प्रमाण पत्र की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी,यदि आपने गलत प्रमाण पत्र और निपटान दिनांक दर्ज की है तो सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा और त्रुटि प्राप्त होगी. डिजिटल प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आप नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.

वैवाहिक स्थिति

मोबाईल नंबर

सदस्य का मुखिया के साथ रिश्ता

चरण 6 : नवीन सदस्य को जोड़ने पर सदस्य की जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आपके द्वारा गलत सदस्य जोड़ दिया गया है तो आप **Delete** कर सकते है। या सदस्य पंजीकृत करें पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।

चरण 7: सदस्य पंजीकृत पर क्लिक करके सदस्य को परिवार में जोड़ा जा सकता हैं। आपके अनुरोध को संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत पर भेज दिया गया हैं।